तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.04.2023	पत्रावली पेश हुई।	

वादी मय वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वयं उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 5 के पैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित।

तहसीलदार सिवाना की ओर से पैरोकार ने विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये। प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया एवं दोनों पक्षों को सुना गया। प्रस्ताव तहसीलदार सिवाना स्वयं द्वारा उभय पक्ष के रूबरू तैयार किये गये हैं तथा वादग्रस्त भूमि के समस्त खातेदारान–वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने माफिक कब्जाकाश्त होना बताकर तदनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। प्रस्तावों में प्रत्येक खातेदार के आवागमन हेतु रास्ते की व्यवस्था कर रास्ते की भूमि स्वयं खातेदारी में रखी गई है। ऐसी सूरत में माफिक प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम वावनगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1904/1740 रकबा 17.2638 हैक्टेयर किस्म गै.मु. धोरा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के सम्मुख पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:–

क. स	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा	रंग
1	जगदीश पुत्र भागीरथ हि0 1/2 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पादरू, बाबुलाल पुत्र भागीरथ हि0 1/2 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पादरू	1904/1740 1904/1740	33.02 (5.3580) 6.04 (1.0036)	
	योग	2	39.06 (6.3616)	आसमानी
2	मालाराम पुत्र वरींगा जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पादरू	1904/1740 1904/1740	20.00 (3.2375) 6.04 (1.0036)	
	योग	2	26.04 (4.2411)	गुलाबी
3	रूगनाथ पुत्र कोला जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पादरू	1904/1740	39.06 (6.3616)	
	योग	1	39.06 (6.3616)	तोतई
4	जगदीश पुत्र भागीरथ हि0 3/16, बाबूलाल पुत्र भागीरथ हि0 3/16, मालाराम पुत्र वरींगा हि0 1/4, रूगनाथ पुत्र कोला हि0 3/8 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पादरू (रास्ता हेतु)	1904/1740	1.17 (0.2995)	
	योग	[illegible]	1.17 (0.2995)	काला

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। जहां तक वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी स्थगन का प्रश्न है, उस न्यायालय स्तर से प्रकरण के निस्तारण के साथ ही स्थगन ~~स्थगन~~

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:54:33 IST
Reason: SelfAttested

स्वतः ही निस्तारण हो जाता है। अतः निर्णय की पालना में अमलदरामद में कोई रूकावट नहीं है। वादग्रस्त भूमि में बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04..2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:54:33 IST
Reason: SelfAttested